कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

पत्रांक :– 817 /सिंखलो/वन भूमि दिनांकः–25-09-2018।

विषय :– देवदार वृक्षों के पातन के औचित्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पत्रांक सं0–1160/12–1(2) दिनांक 24.09.2018।

प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप बहुउद्देश्यीय कृत्रिम जलाशय (झील) निर्माणाधीन है, उक्त परियोजना मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–245/2017 के अन्तर्गत प्राथमिकता में है चूँकि लोहाघाट शहर में पेयजल की अत्यधिक समस्या है, परियोजना के निर्माण के पश्चात् लोहाघाट शहर की शत–प्रतिशत जनता को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध होगा। पेयजल सिंचाई व पर्यटन की दृष्टि से भी झील का निर्माण अतिआवश्यक है उक्त परियोजना के निर्माण के पश्चात् झील में मत्स्य पालन सरकार की ओर से किया जायेगा जिससे सरकार के राजस्व मे वृद्वि होगी। झील के निर्माण से लोहाघाट शहर एक पर्यटक स्थल के रूप में उभरेगा जिससे इस क्षेत्र में बसे आम जनता एवं व्यापारियों को रोजगार का मौका मिलेगा जिससे उनके आय में वृद्वि होगी।

उक्त बहुउद्देश्यीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित देवदार वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नही है

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोहाघाट